प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 मई, 2026

विषयः- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी पारो देवी पत्नी श्री बाल किशुन, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बंदी पारो देवी पत्नी श्री बाल किशुन (दिनांक 15.01.2025 तक 85 वर्ष 08 माह 02 दिन) जो हमाम दरवाजा पंजाबी कालोनी, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 13/14.05.1988 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गायत्री देवी उर्फ मुन्नी देवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-18/1989 में भा0द0वि0 की धारा-304 बी के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, जौनपुर के आदेश दिनांक 20.03.1991 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास को लघुकृत करते हुए 07 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 03 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर ने महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा सामान्य होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी पारो देवी (बन्दी संख्या-74/2024) पत्नी श्री बाल किशुन, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-545/2026/1114(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।